1.4 पुनर्वास कार्रवाई योजना

1.5 सिद्धांत

नीति का उद्देश्य पुनर्वास कार्रवाई योजना में भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाली समस्याओं तथा गरीबी का घरों तथा समुदाय स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकना या कम करना है तथा इसका लोगों की घरेलू परिस्थितियों एवं समुदाय स्तर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। इन सिद्धांतो का विस्तृत रूप में भूमि अधिग्रहण, अनुकम्पा/पात्रता की नीति और योजना के अंगीकरण तथा पुनर्वास क्रियाकलापों के कार्यान्वियन के लिए अनुसरण किया जाएगा।

इन सिद्धांतों, परिभाषाओं और मुआवज़ा संबंधी ढांचे को उस समय भी लागू किया जाएगा जब विद्युत प्रसारण लाइन के कारण पड़ने वाले सामुदायिक प्रभाव का आकलन और क्षतिपूर्ति का कार्य किया जाएगा।

1.5.1 मुआवज़ा और पुनर्वास के लिए परिभाषा और पात्रता

परियोजना से प्रभावित परिवार

परियोजना से प्रभावित परिवार (पी. ए. एफ) में वह परिवार आता है जिन्हें परियोजना के कारण (क) भूमि (ख) ढांचा (ग) अचल परिसम्पति और मकान/दुकान व अन्य कोई या (ड) जीविका/आय का नुकसान पड़ा है। पी.ए.एफ. की पहचान एक पुरे जनसंख्या सर्वेक्षण के माध्यम से परियोजना के समस्त डिजाईन घटकों को अंतिम रूप देने के पश्चात शुरू की जाएगी।

पी.ए.एफ. में निम्नलिखित में से एक या अधिक श्रेणी शामिल होंगी :

परियोजना से प्रभावित कृषिगत परिवार

- ज़मींदार
- बटाईदार
- किराएदार/पट्टेदार
- गैर-कानूनी उपभोक्ता/अधिभोक्ता

परियोजना में किसी ढांचे या आवासीय भूमि को प्रभावित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नमूना सर्वेक्षण के दौरान कोई भी पट्टेदार पी.ए.एफ. सामने नहीं आया।

गैर-कानूनी खेतीहर

उन समस्त परिवार को जिन्हें भूमि या अन्य परिसम्पत्तियों की हानि के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका और आय का नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे उनका उस भूमि/ढांचे परिसम्पत्ति पर कानूनी रूप से अधिकार हो या नहीं, उन्हें परियोजना से प्रभावित परिवारों की सूची में रखा जाएगा और इन्हें पात्रता के ढांचे में अंतर्गत रखा जाएगा। गैर-कानूनी खेतीहरों को उस भूमि की हानि के लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा जिस पर उसका कानूनी अधिकार नहीं है, किन्तु जीविका और

आय की हानि के लिए इन्हे पुनर्वास सहायता दी जाएगी। भूमि के नुकसान के लिए मुआवज़ा का भुगतान भूमि के मालिक को दिया जाएगा। यदि किसी मामले में परिवार के सदस्यों ने भूमि के उपयोग का अनौपचारिक प्रबंध किया है तो मुआवजे की राशि का भुगतान कानूनी मालिक को किया जाएगा तथा इस राशि को परिवार के सदस्यों द्वारा आपसी तालमेल के आधार पर बांटा जाएगा। यह जिम्मेवारी ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की होगी जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजे की राशि को सम्पत्ति से संबंधित हकदार भागीदारों में समानुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा।

पी.ए.एफ. की श्रेणी में दाखिल होने की अंतिम तिथि

विच्छेद तिथियां व्यक्तियों और उनकी परिसम्पत्तियों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए स्थापित की जाएंगी। ये वे तिथियां हैं जिनमें सभी प्रभावित परिवारों और इनकी परिसम्पत्तियों की गणना की जाएगी। परिसम्पत्तियों जैसे ढांचा या अन्य कोई निर्मित ढांचा का निर्माण अथवा किसी समूह द्वारा यह दावा कि वह भी परियोजना से प्रभावित हैं, इन तिथियों के पश्चात्, मुआवज़ा का हकदार नहीं होगा।

अप्रवासी मालिक

भूमि/ढांचे/ परिसम्पत्तियों की हानि के लिए मुआवज़ा भूमि/ढांचे/परिसम्पत्तियों के मालिक/मालिकों को दिया जाएगा। ढांचे/भूमि के अप्रवासी मालिक जो कि परियोजना क्षेत्र में नहीं रहते और जनगणना सर्वेक्षण में शामिल नहीं हुए वे मुआवजे के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्रता वितरण से पूर्व इनके दावों की निजी रूप में पुष्टि की जाएगी।

परिवार

परियोजना के संदर्भ में परिवार की परिभाषा में वह सभी सदस्य शामिल है जिनका एक ही चूल्हा हो। प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली मुआवज़ा राशि पति-पत्नी के संयुक्त खाते में दी जाएगी। परिवार के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य (अर्थात व्यस्क पुत्र, अविवाहित/विधवा/अलग/छोड़ी हुई पुत्री) पर दक्षता उन्नयन तथा आय पुनः स्थापन के रूप में दी जाने वाली विशिष्ट पुनर्वास सहायता के लिए सम्मिलत किया जाएगा।

संवेदनशील परिवार

संवेदनशील परिवारों के रूप में पहचाने गए परिवेशों में वे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीच हैं (रू.20,000/- प्रतिवर्ष प्रति परिवार) वे परिवार जिनमें मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य हैं, वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर हैं) और न ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हैं, विशेष सहायता के पात्र होंगे। इनके अलावा जो परिवार भूमि अधिग्रहण में अपनी कुल भूमि में से 25 प्रतिशत से अधिक भूमि गंवा देंगे उनकी पहचान भी संवेदनशील परिवार के रूप में की जाएगी।

अतिसंवेदनशील परिवार

जो परिवार अपनी कूल भूमि में से 75 प्रतिशत से अधिक भाग भूमि अधिग्रहण के तहत गंवा देंगे इसकी पहचान असली परिस्थिति के अनुसार होगी न कि सिर्फ भूमि रिकार्ड के अनुसार एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिसंवेदनशील परिवारों की सूची में रखा जाएगा।

अवस्थान्तर भत्ता

संवेदनशील परिवारों सहित उन परिवारों को जो भूमि अधिग्रहण के पश्चात् अपनी कुल भूमि में से 25 प्रतिशत से अधिक भूमि का नुकसान उठाएंगे उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए मासिक अवस्थान्तर भत्ते के रूप में पुर्नवास सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अवस्थान्तर भत्ते का भुगतान एक उचित समयावधि के लिए आय की हानि के लिए बटाईदारों और कर्मचारियों को भी किया जाएगा।

भूमि क्रय सहायता

यह स्वाभाविक है कि परियोजना की सार्वजनिक जानकारी के पश्चात् आसपास के क्षेत्रों की भूमि के मूल्यों में एक कृत्रिम उछाल आएगा विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें मुआवजे की राशि मिलेगी और जो इसके बदले में भूमि खरीदना चाहेंगे। उनके लिए मूल्य बढ़ जाएंगे। तथापि जो क्षेत्र परियोजना में तत्काल प्रभावित नहीं होंगे वहां के भूमि के मूल्य स्थायी रूप से बढ़ जाएंगे। परियोजना प्रस्तावक अपने भूमि क्रय सहायता कार्यक्रम के माध्यम से कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विभिन्न वर्गो की भूमि के उपलब्ध मूल्यों का आंकलन करेंगे और इस सूचना से उन लोगों को अवगत कराएंगे जो भूमि गंवा चुके हैं और इसके पुनःस्थापन में भूमि खरीदने के इच्छुक हैं। अतः भूमि क्रय सहायता–

- परिवारों को वैकल्पिक भूमि की पहचान में सहायता करेगी
- बाजार मूल्यों पर सूचना देगी।

वृक्ष स्थानांतरण सहायता

जहां कहीं भी ऐसी मांग होगी, व तकनीकी रूप से व्यवहार्य होगा, परियोजना उन P.A.Fs को प्रभावित सेब के पेंडो़ को ऐसी जगह स्थानंतरित करने में मदद करेगी जो या तो परियोजना से प्रभावित नही है अथवा ऐसी जमीन जो मुआवज़ा राशि से खरीदी गई है। परियोजना वाहन व तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विशेष राय के रूप में सहायता करेगी। परियोजना प्रभावित परिवार पेड़ के उजाड़ने और उसके पुनः रोपण के लिए स्वयं जिम्मेवार होगें। इस प्रकार के पेड़ो की जीवन–निर्वाह दर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः यह सहायता पी.ए.एफ को संबधित श्रेणी के अतर्गत निर्धारित विभिन्न अन्य पात्रताओं से वचिंत नहीं करेगीं। यह सहायता परियोजना के द्वारा सद्भावना और विश्वास बनाए रखने के लिए दी जा रही है क्योंकि परियोजना से प्रभावित परिवारों ने सार्वजनिक विचार–विमर्श मे इस सहायता के लिए विशेष अनुरोध किया है।

3[1] स्रोतः भूमि–राजस्व विभाग

दक्षता उन्नयन और आय पुनःस्थापना सहायता

परियोजना से प्रभावित समस्त परिवार दक्षत उन्नयन और आय पुनः स्थापन सहायता के पात्र होंगे ताकि इन्हें अतिरिक्त अवसरों के माध्यम से आय की पुनःस्थापना व बढ़ाने का अवसर मिले।

1.5.2 भूमि अधिग्रहण और प्रभाव न्यूनीकरण सिद्धांत

भूमि अधिग्रहण

उपरोक्त स्पष्ट किए गए नीतिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रा.सि.वि.मि.लि. निम्नलिखित मापदण्डों को अपनाएगीः

- जहां तक संभव होगा बातचीत द्वारा आवश्यक भूमि बाजार मूल्यों पर खरीदी जाएगी। सिर्फ उन मामलों में जहां बातचीत सफल नहीं होगी या बातचीत नहीं हो पाएगी वहां परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाएगी जिसके लिए प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

- भूमि अधिग्रहण की आवयकता को कम करने लिए वैकल्पिक डिजाइन और एलाईनमेंट की खोज होगी। यहां तक कि इसके अंतर्गत भी निजी भूमि का अधिग्रहण की आवश्यकता को कम करने और इसके स्थान पर सरकार या राजस्व भूमि के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाएगी।

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवासीय स्थान/घरों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- जहां तक संभव होगा, सड़क तथा आवासीय कालोनियों के लिए उस स्थान को चुना जाएगा जो कि उत्पादकता का उपयोग के संदर्भ में कम उत्पादन मूल्य वाला है।

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना क्रियाकलापों का धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा या सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- भूमि अधिग्रहण के पश्चात जो भूमि आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाएगी ऐसे मामलो में भूमि मालिकों को सम्पूर्ण भूमि को परियोजना को अधिग्रहित करने के विकल्प का अवसर दिया जाएगा।

प्रभाव को कम करना

भूमि अधिग्रहण के लिए कानून में निर्धारित प्रावधान के अलावा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आईएफसी और विश्व बैंक के प्रावधानों को प्रयोग भी किया जाएगा।

- अधिग्रहण नियम की आवश्यकता के विपरीत, कानूनी हकदार न होने पर भी विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सहायता दी जाएगी।

- संवेदनशील परिवारों की जिनमें विशेष रूप से वे घर जिनमें महिला मुखिया है, वे परिवार जिनमें अधिक आयु के वृद्ध और शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग सदस्य है, पहचान की जाएगी और उचित नीतियों और सहायता के माध्यम से प्रत्येक विशेष मामले पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा उन परिवारों की पहचान भी संवेदनशील परिवार के रूप में की जाएगी जो अपनी कुल भूमि में से 25 प्रतिशत से अधिक की हानि उठाएंगे। आदिवासी परिवारों का भूमि से अलग होने से बचाने के लिए, भूमि के लिए भूमि का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान का अनुपालन केवल प्रभावित परिवार की इच्छा से ही किया जा सकता है। जब तक प्रभावित परिवार अन्य कोई मांग नहीं रखते वहां अदिवासी परिवारों के मामले में भूमि के लिए-भूमि प्रावधान के माध्यम से भूमि अपहरण को रोका जाएगा।

- मौजूदा समय में परियोजना का किसी सामूहिक सम्पत्ति संसाधन या सांस्कृतिक पर कोई प्रभाव नही पड़ रहा है। तथापि डिजाइन और संरक्षण के बाद यदि किसी मामले में कोई घटक व्यापक समुदाय के प्रभावित करता है (सी. पी.आर तक पहुंचने में रोक लगाला या समुदायिक सुविधाओं के उपयोग आदि पर प्रभाव। तो परियोजना इन सुविधाओं का पुनः निर्माण करेगी और वैकल्पिक अभिगमन प्रदान करेगी।

1.5.3 पात्रता फ्रेमवर्क

मुआवजे की रूपात्मकता इस पूर्वधारना पर आधारित है कि परियोजना का किसी आवासीय ढांचे, घरों की भूमि, सी.पी. आर. तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भूमि और परिसम्पत्ति की हानि के लिए मुआवजा

- अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान सरकार के वर्तमान मापदण्ड के आधार पर आपसी समझोते के साथ किया जाएगा। भूमि के मूल्य के निर्धारित करने की प्रक्रिया में भूमि के मालिकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

- प्रभावित समस्त गैर–भूमि सम्पत्ति जैसे ढांचा और वृक्ष, मौसमी और बारहमासी फसलें, बागान और अन्य सम्पत्ति मूल्य वाली वस्तुओं का मुआवजा आपसी समझोते के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

- भूमि अधिग्रहण के पश्चात् अपनी कुल भूमि के 75 प्रतिशत से अधिक भूमि का नुकसान उठाने वाले परिवारों कों अतिसंवेदनशील के रूप में पहचान की गई है। इन्हें परियोजना से नकद राशि के मुआवजे या इनके द्वारा गंवाई गई भूमि के आकार मुल्य और गुणवत्ता के अनुरूप वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का विकल्प दिया जाएगा।[1] जहां तक संम्भव हो, यह वैकल्पिक जमीन उनकी बस्ती से दूर न हो यह जमीन किसी भी कर, (रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रान्सफर टैक्स, स्टाम्प डयूटी) से रहित होगी, अथवा इसके भुगतान की जिम्मेवारी परियोजना प्रस्तावक पर होगी पी. ए. एफ को तुल्य विकल्पों में से (पैसा एवं जमीन) चुनने का अधिकार दिया जायेगा। इसके लिये प्रोजेक्ट को राज्य सरकार के राजस्व विभाग से सहायता लेनी पड़ सकती है।

- अगर पी.ए.एफ ने जमीन चुनी, और उन्होंने कृषि प्रक्रिया फिर से आरंम्भ करना चाहा, ऐसी परिस्थिति में पी.ए. एफ को 3 महीने का अवस्थान्तर भत्ता अतिरिक्त दिया जायेगा।

4[1] नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना में "परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आर एण्ड आर नीति" में भूमिहीन लोगों के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी।

- समस्त प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों को उसी समान भूमि के लिए भूमि का विकल्प दिया जाएगा।
- प्रभावित परिवारो को अपने सेब के पेड़ों को अपने किसी अन्य खेत या खरीदे गए नए खेतों में ले जाने तथा पुनः रोपित करने के लिए मदद की जाएगी।
- प्रभावित परिवारों द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि को छोड़ने से पहले पात्रता और मुआवजा राशि दी जाएगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राशि को व्यर्थ में खर्च नहीं किया जा रहा है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुआवजे राशि के उपयोग को संचालित किया जाएगा। अपनी सम्पति को बढ़ाने के लिए, ऋण की वापसी, स्वयं के उद्योग की शुरूआत आदि के लिए राशि के उपयोग के लिए परियोजना द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा और संबंधित सुविधाएं दी जाएगीं।

जीविका और आय की हानि के लिए मुआवजा

उन समस्त प्रभावित परिवारों को जिन्हें अपनी कुल भूमि में से 25 प्रतिशत से ज्यादा भूमि की हानि और परिसम्पत्ति की हानि से जीविका और आय का नुकसान हुआ है, उन्हें पुर्नवास सहायता प्रदान की जायेगी। भूमि/परिसम्पत्ति की हानि के लिये दिया गया अनुदान प्रभावित भूमि/सम्पत्ति के स्थान पर वैकल्पिक भूमि अथवा परिसम्पत्ति हासिल करने में समर्थ होगा। पुर्नवास सहायता(अवस्थान्तर भत्तें के रूप में) दक्षता विकास और प्रशिक्षण योजना आदि, परियोजना प्रभावित परिवारों को नुकसान के शीघ्र पश्चात्, अवस्थान्तर अवधि में, उस समय तक सहायता करेगा, जब तक वे परिवार अपने पुरानी क्रियाकलापों को पुनः स्थापित, या नए तौर से शुरू नहीं कर लेते।

सांस्कृतिक संपत्ति/सामूहिक संसाधनों के अभिगमन/सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचा एवं सुविधाओं पर होने वाले प्रभावों का न्यूनीकरण

सर्वेक्षण की अवधि तक परियोजना डिजाइन में सुनिश्चित किया गया है कि किसी सांस्कृतिक या सामुहिक सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि जहां बाद के चरण पर सांस्कृतिक सम्पत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को टाला न जा सके वहां सांस्कृतिक रूप से उपर्युक्त तरीके में स्थानीय समुदाय के विचार-विमर्श से सुविधाजनक स्थान पर ढांचे को पुनः बनाया जाएगा। जहां सामूहिक संसाधन, जैसे चराई भूमि आदि प्रभावित होगी, वहां उचित स्थान पर वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे।

1.5.4 सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान देना

नए सड़क मार्गो के कारण होने वाले दुर्घटना के खतरों पर डिजाइन बनाने के दौरान उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

1.5.5 भागीदारी और विचार-विमर्श

पात्रता पैकेज व पुनर्वास सहायता पर अंतिम निर्णय स्थानीय समुदाय व ग्राम स्तर की संस्थाओं (ग्राम पंचायत आदि) की सहमति से किया जाएगा। कार्यान्वयन का अनुश्रवण एक स्वतंत्र एर्जेसी द्वारा कराया जाएगा और समस्याओं की पहचान और उचित उसके निवारण के लिए प्रबंध एक शिकायत सुधार यंत्र स्थापित किया जाएगा।

1.6 पात्रताएं

1.6.1 कृषिगत परियोजना प्रभावित परिवार के लिए पात्रताएं

कानूनी-हकदार जमींदार

1. भूमि की हानि के लिए मुआवजा :

प्रभावित भूमि के भूमि मालिकों को नकद मुआवजा (जो कि आपसी समझौते के द्वारा निश्चित किया जाएगा) दिया जाएगा।(समान श्रेणी तथा भूमि के स्थान के लिए सरकारी मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम मुआवजा समझौता समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा) इसके अतिरिक्त उस भूमि पर उगाई जाने वाली मौसमी और बारहमासी फसलों की पिछले तीन वर्षो के दौरान औसत वार्षिक आय की 3 गुना राशि का मुआवजा दिया जाएगा।

(क) यदि कृषिगत परियोजना प्रभावित परिवार कुल धारित भूमि में से 25 प्रतिशत से ज्यादा भूमि गवां देते हैं:

वे परियोजना प्रभावित परिवार जो अपनी कुल भूमि में से 25 प्रतिशत से अधिक भूमि का नुकसान उठाएंगे उन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा जाएगा। इन मामलों में परियोजना अधिकारी बातचीत के बाद के मूल्य के अलावा अवस्थान्तर भत्ते के रूप में पुर्नवास सहायता का भुगतान करेंगे और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षता उन्नयन और आय पुनःस्थापन कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे।

(ख) यदि कृषिगत परियोजना प्रभावित परिवार कुल भूमि में से 75 प्रतिशत से अधिक भूमि का नुकसान उठाते हैं :

भूमि अधिग्रहण के पश्चात् 75 प्रतिशत से ज्यादा भूमि का नुकसान उठाने वाले परिवारों की पहचान अतिसंवदेनशील परिवारों के रूप में की गई है तथा परियोजना उन्हें विकल्प देगी कि या तो यह बातचीत द्वारा निश्चित मूल्य पर नकद मुआवजा प्राप्त कर लें या जितनी भूमि का इन्हें नुकसान हुआ है उसके आकार, मूल्य और गुणवत्ता के समतुल्य वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाएगी। यह भूमि बिना किसी संक्रमणकालीन लागत अर्थात् पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण कर आदि को प्रदान की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को इस प्रयोजन से राजस्व विभाग की सहायता की आवश्यकता होगी।

अगर पी.ए.एफ वैकल्पिक जमीन में कृषि प्रक्रिया फिर से आरम्भ करना चाहे तो ऐसी परिस्थिति में पी.ए.एफ को 3 महीने का अवस्थान्तर भत्ता अतिरिक्त दिया जायेगा।

इन मामलों में परियोजना प्राधिकारी संक्रमणकालीन भत्तें के रूप मे पुर्नवास सहायता भी देंगें और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षता उन्नयन और आय पुनः स्थापन कार्यक्रम इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि चाहे शेष भूमि व्यवहार्य है या नहीं, में भी शामिल करेंगे।

(ग) यदि कृषिगत परियोजना प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबधित है :

समस्त अनुसूचित जनजाति परिवारों को अधिग्रहित भूमि के क्षेत्र,मुल्य और गुणवत्ता भूमि प्रदान करने का विकल्प दिया जाएगा। यह भूमि बिना किसी संक्रमणकालीन लागत अर्थात् पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण कर आदि के प्रदान

की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक कों इस प्रयोजन के लिए राजस्व विभाग की सहायता की आवश्यकता होगी।

2. भूमि उपयोग का अधिकार :

परियोजना से प्रभावित भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि के पूर्ण भुगतान होने तक अपनी भूमि के उपयोग का अधिकार होगा। पर्याप्त नोटिस (न्यूनतम 3 माह) दिया जाएगा तथा भूमि छोड़ने से पहले किसान को सूचना जारी होने की तिथि से पहले बोई गई फसल को काटने का अधिकार होगा। यह प्रावधान उस समय लागू नहीं होगा यदि भुमि में खडी हुई फसल का मुआवजा भी शामिल है।

3. वृक्षों की हानि

प्रभावित भूमि में आने वाले वृक्षों की मुआवज़ा राशि भी आपस में विचार विमर्श कर के तय की जाएगी। प्रभावित वृक्षों के लिए मुआवज़ा राशि उस वृक्ष की औसत वार्षिक उत्पादकता व आय को ध्यान में रख कर की जाएगी।

4. यदि कोई परिसम्पत्ति की हानि हो

यदि कृषिगत परियोजना प्रभावित परिवार की कोई अचल सम्पत्ति प्रभावित भूमि के अन्दर स्थित है जैसे निजी-जल भण्डार अन्य सिंचाई ढांचा, मवेशियों के लिए हौद और स्टोर आदि के नुकसान के लिए मुआवज़ा दिया जाएगा।

5. जीविका/आय का नुकसान :

(क) अवस्थान्तर भत्ता :

समस्त संवेदनशील कृषिगत परियोजना प्रभावित परिवार को एक वर्ष की अवधि के लिए रू. 2000/- मासिक अवस्थान्तर भत्ता दिया जाएगा।

(ख) आय पुनःस्थापन कार्यक्रम

समस्त परियोजना प्रभावित परिवारों को उनकी संवेदनशीलता पर ध्यान दिए बिना व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षता उन्नयन और आय पुनःस्थापन कार्यक्रम के रूप में पुर्नवास सहयता प्रदान की जाएगी।

(ग) भूमि खरीद सहायता कार्यक्रम :

अनुच्छेद 10.5.1 में स्पष्ट की गई भूमि क्रय सहायता, वैकल्पिक भूमि की खरीद के इच्छुक समस्त परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रदान की जाएगी

(घ) वृक्ष स्थानांतरण सहायता

अनुच्छेद 10.5.1 में स्पष्ट विवरण के अनुसार यह सहायता तब प्रदान की जाएगी यदि परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा इसकी मांग की जाती है।

भूमि के गैर-कानूनी उपभोक्ता/अधिभोक्ता

कृषि भूमि के गैर कानूनी अधिभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से भूमि की हानि के मुआवजे के हकदार नहीं हैं। तथापि यह निम्नलिखित सहायता के पात्र होंगे।

1. **फसल आय की हानि :** इस भूमि पर उगाई जाने वाली मौसमी और बारहमासी फसलों से पिछले तीन वर्षो के दौरान अर्जित औसत वार्षिक आय की 3 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा।

2. **भूमि उपयोग का अधिकार :** परियोजना से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त सूचना (न्यूनतम 3 माह) दी जाएगी तथा भूमि छोड़ने से पहले किसान को सूचना जारी होने की तिथि से पहले बोई गई फसल को काटने का अधिकार होगा। यह प्रावधान तब जरूरी नहीं होगा यदि भूमि के मुआवज़े में खड़ी हुई फसल का मुआवज़ा शामिल होगा।

3. **वृक्षों की हानि :** प्रभावित भूमि में आने वाले पेड़ों के लिए मुआवज़ा समझौते के द्वारा तय की गई कीमत के आधार पर किया जाएगा। इसकी गणना वृक्ष की औसत वार्षिक उत्पादकता तथा वृक्ष की आयु आधारित होगी।

4. **परिसम्पत्ति की हानि, यदि कोई है** : यदि कृषिगत परियोजना प्रस्तावित परिवार की कोई अचल सम्पत्ति प्रभावित भूमि के अन्दर स्थित है जैसे निजी जल भण्डार अन्य सिंचाई ढांचा, मवेशियों के लिए हौद और शेड्स तो इनके नुकसान के लिए मुआवज़ा दिया जाएगा।

---

1. हिमाचल प्रदेश सरकार का बागवानी विभाग फल देने वाले वृक्षों के मुआवज़े का फार्मूला विधिवत तय करेगा। तथापि आकंलन के अनुसार यह राशि पेड़ की वर्तमान बाजार मूल्य से कम होगी। अतः बागवानी विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य मे और अधिक राशि जोड़ने की आवश्यकता होगी। यह अतिरिक्त राशि एक विशेषज्ञ द्वारा की गई स्वंतत्र मूल्यांकन विधि द्वारा तय की जाएगी।

2. टी.ए राशि मौजूदा गरीबी रेखा की रू. 2000/- प्रतिवर्ष प्रति परिवार से थोड़ी सी अधिक होगी। परियोजना को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना अवधि में कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं है।

3. यह प्रभावित परिवार भूमि अधिग्रहण कार्यालय से मुआवज़ा प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें सीधे जमींदारों से अपनी हिस्से की राशि प्राप्त होगी। पंचायत यह सुनिश्चित करेंगी कि भूमि के मुआवजे की राशि भूमि की हिस्सेदारों में सही रूप से वितरित की गई है, यदि भूमि रिकार्ड अद्यतन नहीं है और इन्हें मालिक के रूप में नहीं मानती तो भी मुआवजा इन्हे ही दिया जाए। प्रत्येक गांव के महिला मंडल इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

5. जीविका/आय की हानि :

(क) संक्रमणकालीन भत्ता : समस्त संवेदनशील परियोजना प्रभावित परिवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए रू. 2000/– मासिक संक्रमणकालीन भत्ता दिया जाएगा।

(ख) आय पुनः स्थापन कार्यक्रम : समस्त परियोजना प्रभावित परिवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षता उन्नयन और आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के रूप में पुर्नवास सहायता प्रदान की जाएगी।

(ग) वृक्ष स्थानांतरण सहायता : अनुच्छेद 10.5.1 में स्पष्ट विवरण के अनुसार यह सहायता तब प्रदान की जाएगी यदि परियोजना प्रभावित परिवार इसकी मांग करते हैं।

1.6.2 बटाईदारों के लिए पात्रता

जनगणना सर्वेक्षण के दौरान समस्त बटाईदारों की पहचान की जाएगी। यदि एक परिवार अधिग्रहित भूमि पर नियमित रूप से 3 वर्ष की अवधि से अधिक बटाईदारी का कार्य कर रहा है तेा वह इस भूमि पर उगाई जाने वाली मौसमी और बारहमासी फसल का मुआवजा पाने के पात्र होंगे। मुआवजे की राशि पिछले 3 वर्षो के दौरान उस भूमि से प्राप्त शुद्व औसत आय से 3 गुना होगी। इसके अतिरिक्त पात्रता के रूप में 6 माह की अवधि के लिए रू. 1000/– प्रतिमाह अवस्थान्तर भत्ते के अधिकारी भी होंगे।

बटाईदारी में लगे परिवार व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय पुनः स्थापन कार्यक्रम के माध्यम से दक्षता उन्नयन के रूप में पुर्नवास सहायता के पात्र होंगे।

1.6.3 रोजगार की हानि के लिए पात्रता

वह व्यक्ति जो परियोजना की अधिग्रहित भूमि में कम से कम तीन वर्ष की अवधि से (मजदूर के रूप में) कार्यरत थे, वे आय की हानि के लिए मुअवाजे के पात्र होंगे। इनकी पहचान जनगणना सर्वेक्षण द्वारा की जाएगी और यह 6 माह की अवधि के लिए रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से संक्रमणकालीन भत्ते के पात्र होंगें।

कर्मचारियों के स्तर के दावों की जांच अन्य ग्रामवासियों तथा ग्राम पंचायत के साथ विचार विमर्श के माध्यम से की जाएगी।

इसके अलावा कर्मचारी व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा दक्षता उन्वयन और आय पुनःस्थापन कार्यक्रम के रूप में पुर्नवास सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

1.6.4 संवेदनशील परिवारों के लिए हकदारी पात्रता

परियोजना प्रमाणित परिवार (पी ए एफ) की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत संवेदनशील परिवार विशेष पुर्नवास सहायता के पात्र होंगे जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद में दिया गया है।

– जनगणना सर्वेक्षण इनके दावों का अन्य ग्रामवासियों और ग्रामपंचायत के साथ विचार–विमर्श के माध्यम से इनका सत्यापन करेंगें
– इस मामले में टी.ए. कम हैं तथा कम अवधि के लिए हैं क्योंकि बटाईदारी वर्ष में कुछ ही माह की अवधि के लिए कि लाती हैं । बटाईदारी एक परिवार के लिए बहुत ही कम जगह आय का प्राथमिक स्रोत होता हैं।

1.6.5 अनुसुचित जनजाति परिवारों के लिए पात्रता

समस्त संवेदनशील अनुसुचित जनजाति परिवार संवेदनशील परिवारों की दी जा रही विशेष सहायता के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य के आदिवासियों के बीच भूमि अलग निरोधक नीति का अनुसरण किया जाएगा[1]।

परियोजना में भूमि के लिए भूमि प्रदान करने का प्रावधान उन सभी आदिवासियों को दिया जाएगा जिनकी भूमि परियोजना में अधिग्रहित कर ली जाएगी। दी जाने वाली भूमि का आकार,मुल्य और गुणवत्ता गंवाई गई भूमि के समतुल्य होगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत सी नीतियां आदिवासियों को उनकी भुमि से अलग नही होने देती और इस एंव इस भुमि का हस्तांतरण को सख्ती से संचालन किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं की विशेष आर एंड आर नीतियां (अर्थात नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना एवं बसपा–2एच ई पी) आदिवासी परिवारों के लिए भुमि या रोजगार प्रदान करते हैं।